साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

साधारण परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 20 जुलाई 2018 का

कार्यवाही विवरण

DR
05/09/18

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 धारा 21 के प्रावधान अनुसार साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय साधारण परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 20 जुलाई 2018 को निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1	**श्री शिवराज सिंह चौहान** माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	**श्री बसंत प्रताप सिंह** मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	विशिष्ट अतिथि
3	**श्री सुरेन्द्र पटवा** मा. संस्कृति मंत्री, म.प्र. शासन	सदस्य
4	**श्री मनोज श्रीवास्तव** अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग	सदस्य
5	**श्री मनोज गोविल** प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	सदस्य
6	**श्री अजीत कुमार** सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
7	**श्री वेन बनागला उपतिस्सा नायके थेरो**, श्रीलंका अध्यक्ष, महाबोधि सोसायटी, श्रीलंका (कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विद्वान)	सदस्य
8	**प्रो. (डॉ.) कपिल कपूर**, नई दिल्ली (कला, विज्ञान, साहित्य तथा लोक जीवन के क्षेत्र से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विशिष्ट व्यक्ति)	सदस्य
9	**प्रो. (डॉ.) सिद्धेश्वर रामेश्वर भट्ट,** नई दिल्ली (कला, विज्ञान, साहित्य तथा लोक जीवन के क्षेत्र से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विशिष्ट व्यक्ति)	सदस्य
10	**प्रो. (डॉ.) जे. एस. राजपूत,** ग्रेटर नोयडा, उ.प्र. (कला, विज्ञान, साहित्य तथा लोक जीवन के क्षेत्र से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विशिष्ट व्यक्ति)	सदस्य
11	**आचार्य प्रो. (डॉ.) यज्ञेश्वर एस. शास्त्री** कुलपति, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय	सदस्य-सचिव

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 24(1) के प्रावधान अनुसार साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य से अधिक सदस्य उपस्थित होने से सम्मिलन की गणपूर्ति हुई।

बैठक का एजेण्डा विश्वविद्यालय के कुलपति एवं बैठक के सदस्य-सचिव द्वारा पढ़ कर सुनाया गया। एजेण्डा पर बिंदुवार चर्चा में निम्न निर्णय लिये गये-

एजेण्डा 1: साधारण परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 09 जुलाई 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से बैठक दिनांक 09 जुलाई 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा 2: साधारण परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 09 जुलाई 2016 में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा द्वितीय बैठक दिनांक 09 जुलाई 2016 में लिये गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा 3 : साधारण परिषद की पूर्व बैठक पश्चात् विश्वविद्यालय की गतिविधियों से साधारण परिषद को अवगत कराया जाना।

निर्णय : साधारण परिषद् विश्वविद्यालय की पूर्व बैठक से वर्तमान बैठक अवधि तक की गतिविधियों से अवगत हुई।

एजेण्डा 4: साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय निर्माण से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी, निर्माण कार्य हेतु राशि की आवश्यकता/ औचित्य, अनुमोदन/ स्वीकृति के संबंध में विचार।

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को आवंटित 100 एकड़ भूमि पर परिसर विकास हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव साधारण परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया :-

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नियुक्ति कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत डेवलपमेंट प्लान/कंसेप्ट डिजाइन का अवलोकन कराया गया।

- विश्वविद्यालय की अधोसंरचना विकास हेतु 10 वर्ष में राशि रु. 1800.00, विश्वविद्यालय की वर्तमान प्रचलित गतिविधियां संपादित करने हेतु दो अकादमिक संकुल (लगभग 50 शिक्षण कक्ष), 150 शिक्षकों, अधिकारियों हेतु शैक्षणेत्तर अधोसंरचना, 500 विद्यार्थियों हेतु छात्रावास, पुस्तकालय भवन, प्रशासनिक भवन, सम्मेलन भवन, अतिथि गृह भवन, कम्प्यूटर भवन, क्रीड़ा केन्द्र, औषधालय, लगभग 180 स्टॉफ क्वार्टर आदि का निर्माण किया जाना आवश्यक है। साथ ही अधोसंरचना का विकास/विस्तार पर राशि रू. 1400.00 करोड़ व्यय का अनुमान लगाया गया।
- विश्वविद्यालय विकास के प्रथम चरण एक अकादमिक भवन, प्रशासनिक भवन, छात्रावास, स्टॉफ क्वार्टर, विभागीय पुस्तकालय, अतिथि गृह, कुलपति आवास, बाउण्ड्री वॉल एवं मूलभूत सुविधाओं हेतु राशि रु. 400.00 करोड़ का व्यय अनुमान लगाया गया।
- प्रथम चरण के प्रारंभिक दो वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य एवं मूलभूत सुविधाओं हेतु राशि रु. 222.00 करोड़ की आवश्यकता है।
- विश्वविद्यालय के परिसर विकास का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कंसल्टेंट को कार्यादेश दिये जाने की कार्यवाही लंबित है। क्योंकि डी.पी.आर. तैयार कराने हेतु कंसल्टेंट की फीस (लागत का 3.54 प्रतिशत मय जीएसटी) भुगतान हेतु विश्वविद्यालय के पास राशि का अभाव है।
- आवंटित भूमि पर भूजल स्रोत का अभाव है जबकि निकटतम स्रोत हलाली बांध जलाशय में जल उपलब्ध है।
- नगरपालिका रायसेन द्वारा आबादी हेतु पेयजल पाइपलाइन बिछाये जाने की योजना है। उक्त पाइपलाइन विश्वविद्यालय के प्रस्तावित परिसर के निकट से गुजरती है। नगर पालिका रायसेन से बिछायी जा रही पाइप लाइन के माध्यम से विश्वविद्यालय को जल उपलब्ध कराया जाना एकमात्र उपलब्ध विकल्प है।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

1. विश्वविद्यालय परिसर विकास का डिजाइन विश्वविद्यालय स्थापना के उद्देश्यों/भाव के अनुरुप हो।
2. विश्वविद्यालय परिसर विकास के डिजाइन को अंतिम स्वरुप प्रदान करने हेतु समिति का गठन किया जाए।

3. निर्माण संबंधित कार्यो पर विचार हेतु एक समिति का गठन किया जावे जिसमें संस्कृति मंत्री अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव-संस्कृति, वेन बनागला उपतिस्सा नायके थेरो, प्रो. कपिल कपूर, प्रो. जे. एस. राजपूत, प्रो. एस आर भट्ट और कुलपति-साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को सदस्य के रूप में सम्मिलत किया जाए।
4. डिजाइन तैयार करने के लिये साधारण परिषद् के सदस्य वेन बनागला उपतिस्सा नायके थेरो द्वारा सुझाये गए श्रीलंका के आर्किटेक्ट का सुझाव भी संज्ञान में लिया जाए।
5. विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय निर्माण हेतु आवंटित भूमि में ही मैत्री पार्क की स्थापना की जाए।
6. विश्वविद्यालय अधोसंरचना विकास में सम्मिलित अकादमिक संचालन के लिए जरूरी अधोसंरचना के निर्माण का काम अविलंब शुरु किया जाए।
7. अकादमिक संचालन के लिए जरूरी अधोसंरचना निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 से न्यूनतम रू. 20 करोड़ राशि प्राप्त की जाए तथा आवश्यकतानुसार अन्य राशि का बजट प्रावधान मध्यप्रदेश शासन से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा 5: साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की गतिविधियां संचालन हेतु कॉर्पस फंड की स्थापना तथा कॉर्पस फंड हेतु राज्य शासन से विशिष्ट अनुदान की मांग के संबंध में विचार।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

1. विश्वविद्यालय निधि अंर्तगत एक स्थायी कॉर्पस फंड स्थापित करनें की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. स्थायी कॉर्पस फंड की राशि बैंक में सावधि जमा में रखकर केवल ब्याज की राशि व्यय किये जाने की स्वीकृति ।
3. स्थायी कॉर्पस फंड से प्राप्त ब्याज की राशि केवल उन मदों पर व्यय की जा सकेगी, जो कार्यपरिषद् द्वारा निर्मित नियमों के माध्यम से विहित की जावे।
4. विवि के प्रारंभ से 31 मार्च 2018 तक अर्जित स्वयं स्रोत आय (राशि ₹85,27,610.00) को स्थायी कॉर्पस में जमा करने की स्वीकृति।
5. स्थायी कॉर्पस फंड हेतु मध्यप्रदेश शासन से राशि रू 10.00 करोड़ विशिष्ट अनुदान प्राप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा 6: **साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रुप में विकसित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के संबंध में विचार।**

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

अ. विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रुप में विकसित करने हेतु निम्न कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. ज्ञान सृजन की दिशा में कार्य
2. पारंपरिक भारतीय ज्ञान की पारंपरिक विधियों से अध्ययन की व्यवस्था
3. ग्रंथ एवं पांडुलिपि आधारित अध्ययन-अध्यापन
4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की शोध परियोजनाएं
5. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना की आवश्यकता
6. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक एवं छात्रों की आवश्यकता
7. समृद्ध ग्रंथालय की स्थापना
8. बौद्ध धर्म बहुल समस्त देशों (थाईलैण्ड, म्यांमार, जापान, चीन, भूटान, श्रीलंका) के
   - a) अध्ययन केन्द्रों की स्थापना
   - b) प्रमुख विश्वविद्यालयों से अकादमिक सहयोग
   - c) शिक्षक-विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम
   - d) बौद्ध बहुल देशों के ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद
   - e) प्रमुख भारतीय ग्रंथों का संबंधित देशों की भाषाओं में अनुवाद
   - f) अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना का विकास
   - g) योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विशेष प्रावधान
   - h) विदेशी एवं उत्कृष्ट विद्वानों को आकर्षित करने हेतु विशेष वेतन पैकेज का प्रावधान

आ. विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा तैयार प्रस्ताव "Proposal to make Sanchi University International in true sence" का अनुमोदन किया गया।

परिशिष्ट-'अ'

एजेण्डा 7: साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हेतु विद्वान के नाम की अनुशंसा करने हेतु तीन सदस्यीय समिति में सदस्यों के नामांकन पर विचार।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान का चयन साधारण परिषद् के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जावेगा।

एजेण्डा 8: साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कार्य परिषद हेतु साधारण परिषद के तीन सदस्यों के नामांकन पर विचार।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 25(1)(दो) के प्रावधान अनुसार साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् में साधारण परिषद् के निम्न तीन सदस्यों के नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं :-

1. प्रो. (डॉ.) सिद्धेश्वर रामेश्वर भट्ट, नई दिल्ली
2. प्रो. (डॉ.) जे. एस. राजपूत, ग्रेटर नोयडा, उ.प्र.
3. प्रो. (डॉ.) सागरमल जैन, शाजापुर, म.प्र.

एजेण्डा 9 : साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में अन्य देशों के अध्ययन केन्द्र/अध्ययन पीठ की स्थापना हेतु नीति के प्रारुप पर विचार ।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

1. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में अन्य देशों के अध्ययन केन्द्र/अध्ययन पीठ की स्थापना हेतु तैयार की गई नीति के प्रारुप का अनुमोदन किया जाता है। नीति का प्रारुप परिशिष्ट-'एक' पर संलग्न है।

2. श्रीलंका एवं वियतनाम से केन्द्र स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए है इस दिशा में अग्रिम कार्यवाही की जाये।

3. श्रीलंका एवं वेयतनाम के अतिरिक्त भी साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 36 के प्रावधान अनुसार प्राध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु अन्य देशों से सम्पर्क कर केन्द्र स्थापना हेतु यथा संभव प्रयास किए जाए।

एजेण्डा 10: साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में अन्य देशों के अध्ययन केन्द्र/ अध्ययन पीठ की स्थापना हेतु मौजूदा परिसर से लगी 20 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटन की शासन से मांग के संबंध में विचार।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

साँची बौद्व-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय परिसर में अन्य देशों के अध्ययन केंद्र /अध्ययन पीठ की स्थापना हेतु वर्तमान आवंटित परिसर के ठीक बगल में स्थित 20 एकड़ अतिरिक्त भूमि साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए।

एजेण्डा 11 :Indian Philosophy In Modern Perspective शोध प्रोजेक्ट को स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

1. शोधार्थियों एवं विश्वविद्यालय स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिगत, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् से स्वीकृत पंचवर्षीय शोध परियोजना Indian Philosophy In Modern Perspective साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में प्रारंभ करने स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. शोध परियोजना तैयार करने हेतु विशेषज्ञों का पैनल जिसमें दर्शनशास्त्र, संस्कृत, पालि, प्राकृत के विशेषज्ञ हों, का गठन कार्य परिषद् के अनुमोदन पश्चात् किया जावे।
3. परियोजना की लागत राशि रु. 10.00 करोड़ व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं उक्त राशि की मांग मध्यप्रदेश शासन से की जावे ।

एजेण्डा 12 : साँची बौद्व-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय पीएचडी, एमफिल एवं स्नातकोत्तर अध्यादेश की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत कार्य परिषद् से अनुमोदित निम्न अध्यादेशों के प्रारूपों की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1- साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय एम.फिल., पी.एच.डी. अध्यादेश, 2017 परिशिष्ट –'तीन'

2- साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अध्यादेश, 2017 परिशिष्ट –'चार'

एजेण्डा 13: सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में स्वयं के नियम न होने की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन के नियम अंगीकार करने की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

विश्वविद्यालय की प्रशासकीय प्रक्रियाओं के संचालन संबंधी प्रकरणों में नियम/परिनियम/अध्यादेश के अभाव में मध्यप्रदेश शासन में प्रचलित नियम, प्रक्रियाओं एवं जारी निर्देशों को अंगीकार करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, परन्तु नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों को अंगीकार करने से पूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होगी।

एजेण्डा 14 : सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के सेवकों की राष्ट्रीय पेंशन योजना व ग्रैच्युटी का विवि का हिस्सा राज्य सरकार से प्राप्त संधारण अनुदान राशि से करने की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय :

- विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य बौद्ध-भारतीय ज्ञान, जिसमें धम्म के सिद्धांत, भारतीय संस्कृति के आधारभूत सिद्धांत तथा विचारों के अंत:परायण को सुकर बनाने तथा विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के बीच समन्वय सम्मिलित हैं, में अध्ययन तथा शोध को प्रोन्नत करना है।
- विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित नहीं है एवं राज्य शासन से विश्वविद्यालय संचालन हेतु प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त अन्य कोई आय के स्रोत नहीं हैं।
- विश्वविद्यालय में संचालित विशिष्ट प्रकृति के पाठ्यक्रम एवं सीमित छात्र संख्या के कारण भविष्य में भी आय के स्रोत सीमित ही रहेंगे।
- ऐसी स्थिति में एशिया तथा विश्व के विद्वानों तथा एकेडमिशियन को साँची विश्वविद्यालय की सेवाओं के लिए आमंत्रित/नियोजित कर पाना संभव नहीं हो सकेगा।
- साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 41(4) में "ऐसे विनियम जहां तक कि वे धारा 43 में प्रगणित किए गए अनुसार उपदान एवं पेंशन से संबंधित हैं, साधारण परिषद् द्वारा अनुमोदन के पश्चात् प्रवृत्त होंगे" प्रावधान है।

साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

1. विवि के समस्त स्थायी कर्मचारी के नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत खाते खोले जाए ।

2. विवि के समस्त स्थायी कर्मचारी के मासिक वेतन से कर्मचारी अंशदान राशि की कटौत्री कर पेंशन फंड में जमा की जाए।
3. नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत नियोजक/नियोक्ता अंशदान की राशि का भुगतान मध्यप्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय संचालन मद में प्राप्त अनुदान राशि में से किया जाए।
4. ग्रेच्युटी (उपदान) अधिनियम, 1972 के प्रावधान साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विवि के समस्त स्थायी कर्मचारी हेतु लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. ग्रेच्युटी (उपदान) अधिनियम, 1972 के प्रावधान अनुसार ग्रेच्युटी (उपदान) हेतु आवश्यक राशि का भुगतान मध्यप्रदेश शासन से विश्वविद्यालय संचालन मद में प्राप्त अनुदान राशि में से किया जाए।

एजेण्डा 15 : साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक अधिकारियों-कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा अनुरूप मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अनुसार वेतनमानों के पुनरीक्षण की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

1. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 715/685/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018 द्वारा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं राज्य सरकार से शत प्रतिशत स्थापना/पोषण अनुदान प्राप्त करने वाली अन्य संस्थाओं के गैर-शिक्षकीय सेवायुक्तों को वेतन पुनरीक्षण (7वें वेतनमान) का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
2. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षकीय सेवायुक्तों को वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत देय वेतनमानों के लिये प्रशासकीय स्वीकृति संस्कृति विभाग के पत्र क्र. 1572/1218/2018/तीस दिनांक 19 जुलाई 2018 द्वारा प्रदान की गई है।
3. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षकीय सेवायुक्तों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ देने संबंधी अभिमत "वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 715/685/2018/नियम/चार दिनांक 17 अप्रैल 2018 द्वारा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं राज्य सरकार से शत प्रतिशत स्थापना/पोषण अनुदान प्राप्त करने

वाली अन्य संस्थाओं के गैर-शिक्षकीय सेवायुक्तों के वेतनमानों का पुनरीक्षण संबंधित निर्देश जारी किये जा चुके है" वित्त विभाग से प्राप्त कर लिया गया है।

4. अत: साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतनमान मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 अनुसार पुनरीक्षित करने एवं मध्यप्रदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंध में जारी दिशा-निर्देश स्वत: साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 की काल्पनिक तिथि से किया जाकर नकद भुगतान 01 अप्रैल 2018 से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा 16 : साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में मैस संचालन क्रय-प्रक्रिया के संबंध में विचार।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में मैस संचालन क्रय-प्रक्रिया के शिथिलीकरण प्रस्ताव को विस्तृत दिशा निर्देश हेतु कार्य परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

एजेण्डा 17 : साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के संचालन हेतु किराये पर लिये गये वर्तमान परिसर की लीज अवधि में तीन वर्ष वृद्धि की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

विश्वविद्यालय का स्वयं का भवन निर्माण न होने के कारण विश्वविद्यालयीन गतिविधियों के संपादन हेतु वर्तमान किराये के भवन/परिसर की लीज अवधि कलेक्टर, जिला-रायसेन से पुनः किराया दर निर्धारण पश्चात् पुनरीक्षित किराये की दर अनुसार अनुबंध संपादित कर लीज अवधि 01 जनवरी, 18 से 31 दिसम्बर, 2020 तक तीन वर्ष की वृद्धि की कार्योपरांत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा 18 : साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की प्राप्तियां एवं व्यय विवरण साधारण परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर अनुमोदन पर विचार।

निर्णय : साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आय-व्यय का विवरण साधारण परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका साधारण परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया ।

एजेण्डा 19 : साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के तृतीय कुलपति की नियुक्ति हेतु साधारण परिषद के समक्ष उपयुक्त व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करने हेतु सर्च कमेटी के गठन पर विचार।

निर्णय : साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि -

1. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 के प्रावधान अनुसार कुलपति के पद पर विचारार्थ प्रकरण में पीठासीन कुलपति बैठक में उपस्थित नहीं रहे।
2. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 13 के प्रावधान अनुसार साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के तृतीय कुलपति की नियुक्ति के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों के नाम की पैनल तैयार किया जाए।
3. तैयार किए गए पैनल में से कुलपति पद पर उपयुक्त नाम की अनुशंसा साधारण परिषद् द्वारा कर कुलाध्यक्ष महोदय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।
4. पैनल तैयार करने के लिए सर्च कमेटी गठन के लिए साधारण परिषद् के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा 20 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

निर्णय :

1. अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में संचालित साँची विश्वविद्यालय के प्रशासकीय कार्यालय के अधिकाधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के अकादमिक परिसर ग्राम-बारला, जिला-रायसेन में एक माह के भीतर स्थानांतरित किया जाए।
2. साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा दिसम्बर, 2018 में शाक्त तंत्र पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाए।
3. कुलपति द्वारा अपर मुख्य सचिव, संस्कृति से चर्चा कर संगोष्ठी का अंतिम स्वरुप को तय किया जाए।
4. संगोष्ठी आयोजन के लिये राशि रु. 01.00 करोड़ व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शाक्त तंत्र पर आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर होने वाले व्यय हेतु आवश्यक राशि का अनुदान/आवंटन मध्यप्रदेश शासन से पृथक से कराया जाए।
5. विश्वविद्यालय के नियमित सेवा के सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता भुगतान करने संबंधी नियम तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तैयार किये गये नियम का प्रारुप कार्य परिषद् से अनुमोदन उपरांत क्रियान्वित होगा।

6. विश्वविद्यालय के नियमित सेवा के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता भुगतान संबंधी नियम अन्य विश्वविद्यालयों से तुलनात्मक अध्ययन करके तैयार कर कार्य परिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाए।

7. विश्वविद्यालय के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने और उस पर अपनी सिफारिशें करने के लिए पुनर्विलोकन समिति (Review Committe) गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पुनर्विलोकन समिति गठन एवं निबंधन तथा शर्तें शासन द्वारा तैयार कर जारी की जाए।

साधारण परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापन सहित बैठक सम्पन्न हुई।

(आचार्य प्रो. यज्ञेश्वर एस. शास्त्री)
सदस्य-सचिव/कुलपति
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

(शिवराज सिंह चौहान)
अध्यक्ष, साधारण परिषद्
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय एवं
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन